

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2750/9-1-2023-12 मेला/23
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला वाराणसी में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आयोजित होने वाले 'देवदीपावली मेला' को प्रान्तीय मेला के रूप में घोषित करती हैं। पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे अनुसूची में सविस्तार वर्णित क्षेत्र में पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

जिला वाराणसी में "देवदीपावली मेला" लगभग 08 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत गंगा तट के दोनों ओर तथा नगर के अनेक प्रसिद्ध कुण्डों और तालाबों में आयोजित किया जाता है।


(अमृत प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2750 (1)/9-1-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी प्रारूप सहित) को दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 25-25 प्रतियाँ शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या- २७५० (२)/९-१-२०२३, तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (१) मण्डलायुक्त वाराणसी।
- (२) जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (३) निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (४) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (५) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- (६) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (७) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. 2750/9-1-2023-12MELA/23, dated: November 16, 2023 for the information general public.

NOTIFICATION

No-2750 /9-1-2023-12MELA/23
Lucknow-Dated: November 16, 2023


In exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. 16 of 1938), the Governor is pleased to declare "Devdeepawali Mela", held on Poornima of Shukla Paksha in the month of Kartik every year in District Varanasi, as a provincial mela. All the provisions of the aforesaid Act shall come into operation during the aforesaid period in the area detailed in the Schedule below:-

SCHEDULE

Details of the Area

In Varanasi district, the "Devdeepawali Mela" is organized on both sides of the banks of Ganga spread over an area of about 08 kilometers and in many famous ponds and ponds of the city.

By order,


(Amrit Abhijat)
Pramukh Sachiv.